

योजना/ कार्यक्रम का नाम	ईजा-बोई शगुन योजना
-------------------------	---------------------------

लाभ

जच्चा-बच्चा के सुरक्षित स्वास्थ्य हेतु प्रसव उपरान्त सरकारी अस्पताल में 48 घण्टे तक रुकने वाली सभी पात्र प्रसूताओं को रू0 2000/- प्रोत्साहन धनराशि के रूप में दी जाती है।

पात्रता	प्रसूता महिला उत्तराखण्ड की स्थायी निवासी होनी अनिवार्य है। सरकारी अस्पतालों में प्रसव किया हो।
---------	---

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया

प्रसूता महिला का सरकारी अस्पताल में प्रसव होने के उपरांत संबंधित चिकित्सालय द्वारा प्रसूता महिला के आधार कार्ड, बैंक खाता मांगा जाता है तथा चिकित्सालय द्वारा महिला को रू0 2000/- की धनराशि भुगतान करने की कार्यवाही की जाती है, जो बाद में महिला के खाते में आती है।

ईजा-बोई शगुन योजना के अन्तर्गत प्रसव उपरान्त सरकारी अस्पताल में 48 घण्टे तक रुकने वाली सभी पात्र प्रसूताओं को रू0-2000 की प्रोत्साहन धनराशि दी जायेगी।

ईजा-बोई शगुन योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में 48 घंटे रुकने वाली प्रसूता महिला को मिलेगी ₹2000 की धनराशि